सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : श्री चाँदमल वर्मा, आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 04/2016 (अपील नामा.)
RCMS NO : 2016/00003

अनवान

1. श्रीमती नवली बेवा नाथू मीणा, निवासी छातुडी फला, तहसील ऋषभदेव, उदयपुर
2. श्री रमेश पिता नाथू मीणा, निवासी छातुडी फला, तहसील ऋषभदेव, उदयपुर
3. श्री कैलाश पिता नाथू मीणा, निवासी छातुडी फला, तहसील ऋषभदेव, उदयपुर
4. श्री थलजी पिता नाथू मीणा, निवासी छातुडी फला, तहसील ऋषभदेव, उदयपुर
5. श्री जीतू पिता नाथू मीणा, निवासी छातुडी फला, तहसील ऋषभदेव, उदयपुर नाबालिग जरिये माता नवली बेवा नाथू मीणा।

—अपीलार्थी/अपीलान्ट्स

बनाम

1. मृतक श्री कूरा पिता नाथू भील के स्थान पर —
   1/1 श्रीमती कूरज भील पत्नी निवासी कुरा जी भील, निवासी पुनाली, तहसील डूंगरपुर
2. श्री वाला पिता नाथू भील, निवासी पुनाली, तहसील डूंगरपुर
3. श्री माना पिता नाथू भील, निवासी पुनाली, तहसील डूंगरपुर
4. मृतक श्री माना पिता लाला भील के बजाय —
   4/1 श्री कालू पिता माना भील, निवासी छातुडी फला, तहसील ऋषभदेव, उदयपुर
   4/2 श्री हाजा पिता माना भील, निवासी छातुडी फला, तहसील ऋषभदेव, उदयपुर
5. सरकार जरिये तहसीलदार ऋषभदेव, जिला उदयपुर।

— विपक्षीगण/रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित

1. श्री उत्तमप्रकाश आमेटा, अधिवक्ता अपीलान्ट्स।

अपील कार्यवाही अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956
अपील विरूद्ध म्युटेशन सं.22 न्यायालय तहसीलदार खेरवाडा आदेश दिनांक 29.06.1989

* निर्णय *

दिनांक — 24-01-2019

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने इस न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अपील अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध म्युटेशन संख्या 22 तहसीलदार खेरवाड़ा दिनांक 29.06.1989 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा धुलेव तहसील खेरवाडा, उदयपुर की जमाबन्दी सम्वत 2041 में निम्नानुसार भूमि नाना पिता लालू एवं नाथू पिता ताजू के नाम दर्ज है।

आराजी नम्बर	क्षेत्रफल	किस्म
3449	0.21	मगरी II
3462	0.03	राकड I
3466	0.02	राकड II
3467	0.06	राकड II

3468	0.06	राकड II
3469	0.06	राकड II
3470	0.01	राकड II
3471	0.01	राकड II
3472	0.10	राकड II
3473	0.01	राकड II
3474	0.40	राकड II
3475	0.02	राकड I
3476	0.08	राकड I
3477	0.10	राकड I
3478	0.60	राकड I
3479	0.02	राकड II
3480	0.27	राकड II
3481	0.13	राकड II
3482	0.02	राकड II
3483	0.86	राकड II
3494	0.04	राकड II
4435/3478	0.21	राकड II
3436/3495	0.05	मगरी II
कुल किता 23	3.37	

उपरोक्त विवरण के अनुसार दोनों खातेदार का आधा–आधा हिस्सा वर्णित भूमि में होकर इनका परिवार का सजरा निम्नानुसार है :–

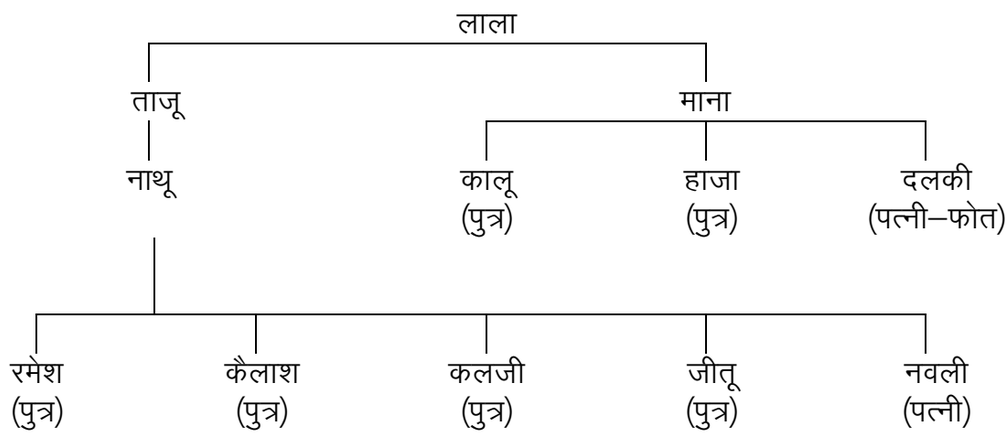

राज्य सरकार द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान में ग्रामीणों को राहत प्रदान करने के लिये कार्य आरम्भ किये गये, किन्तु विचाराधीन प्रकरण में योजना का लाभ प्राप्त करने के लिये दुरूपयोग किया गया है, क्योकि प्रथम तो 1989 में नाथू का देहान्त ही नहीं हुआ और प्रस्तुत सजरे के अनुसार जिन व्यक्तियों के नाम पारित किये गये वे परिवार के सदस्य ही नही थे। नाथू का देहान्त दिनांक 26.07.2003 को हुआ। इस प्रकार नामान्तरकरण गलत दर्ज किया गया, जो मूलतः शून्य है। मृतक श्री नाथू के प्रथम श्रेणी के वारिसान अपीलान्ट संख्या 1 से 5 है परन्तु तहसीलदार खेरवाड़ा ने उक्त प्रावधानों के विपरीत रेस्पोडेन्ट्स से मिलीभगत कर अपीलाधीन नामान्तरकरण विधि के विरूद्ध पारित किया गया। पटवारी ने वादग्रस्त नामान्तरकरण करने से पूर्व श्री नाथू की मृत्यु 5 माह पूर्व होना गलत आधार पर अंकित किया गया। पटवारी हल्का द्वारा

रिपोर्ट 07.06.1989 को की गयी एवं भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा दिनांक 29.06.1989 को अंकन दुरस्त हेाना अंकन किया गया, जिसे तहसीलदार खेरवाडा द्वारा बिना जांच किये प्रमाणित कर दिया एवं इसका अमल दरामद भी 2045 की खेवट खतोनी में दर्ज होना अंकित किया, जबकि नाथू का देहान्त दिनांक 26.07.2003 को होना रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) ग्राम पंचायत ऋषभदेव द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 05.08.2003 से प्रमाणित है। नामान्तरकरण भरने से पूर्व लेण्ड रिकॉर्ड रूल्स 119 के तहत पटवारी को जांच कर वारिसान के नाम नामान्तरकरण में दर्ज करना चाहिये एवं लेण्ड रिकॉर्ड रूल्स 121 (2) के तहत् भू–अभिलेख निरीक्षक को वारिसान की जांच के बाद ही नामान्तरकरण तस्दीक करना चाहिए एवं लेण्ड रिकॉर्ड रूल्स 121 (3) के तहत नामान्तरकरण स्वीकृत करने वाले अधिकारी को भी नामान्तरकरण स्वीकृत करने से पूर्व उत्तराधिकारीयों की जांच करनी चाहिये तथा उसके संबंध में साक्ष्य भी ली जानी चाहिये। जांच एवं साक्ष्य संबंधित पक्षकारों को पर्याप्त अवसर देने के बाद ही लेण्ड रिकॉर्ड रूल्स 121 (4) के तहत नामान्तरकरण स्वीकृत करना चाहिये परन्तु उक्त प्रावधानों की अनदेखी करने से जीवित व्यक्ति को मृत बताकर उसके वैध उत्तरदायी के स्थान पर अन्य व्यक्तियों के नाम नामान्तरकरण पारित कर दिया गया, जो निरस्त किये जाने योग्य है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 मृतक नाथू के वारिसान ना होकर खातू के पुत्र है एवं पुनाली गांव, तहसील डूंगरपुर, जिला डूंगरपुर के रहने वाले है जिनके नाम ग्राम पुनाली में खाता संख्या 85 में भूमि दर्ज होकर उनके पिता का नाम खातू बताया गया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 4/1 व 4/2 के पिता माना अपीलान्ट के साथ सहकृषक के रूप में दर्ज थे। उनके हिस्से पर रेस्पोडेन्ट संख्या 4/1 व 4/2 काबिज है। माना की पत्नी देवली का देहान्त हो गया है। माना के वारिसान को प्रकरण में परफोर्मा पक्षकार बनाया गया है। नामान्तरकरण स्वीकृत अधिकारी, पटवारी एवं भू–अभिलेख निरीक्षक ने लेण्ड रिकॉर्ड रूल्स 119 से 146 की पालना नही करने से उक्त पारित नामान्तरकरण संख्या 22 निरस्त योग्य है। विवादित भूमि पर वर्तमान में अपीलान्ट्स का कब्जा होकर वे ही उसका उपयोग एवं उपभोग कर रहे है। अतः उक्त नामान्तरकरण की कार्यवाही विधि विरूद्ध होने से तहसीलदार खेरवाडा द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 22 को निरस्त किया जावे एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 के नाम खाते से हटाये जाने का आदेश प्रदान करावे।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये जाकर अपना पक्ष/प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने हेतु समय दिया गया। प्रकरण मे रेस्पोडेन्ट्स की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत न होने से प्रकरण में जवाब बन्द किया जाकर एक तरफा बहस हेतु तिथि नियत की गयी।

बहस हेतु निर्धारित तिथि को अपीलान्ट अधिवक्ता उपस्थित हुए जिन्होने अपने अपील मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तहसीलदार खेरवाडा द्वारा खातेदार श्री नाथू के देहान्त से पूर्व अन्य व्यक्तियों के नाम खोले गये नामान्तरकरण संख्या 22 दिनांक 29.06.1989 को अवैध बताया एवं उक्त नामान्तरकरण को निरस्त करने की मांग की।

हमनें अपीलान्ट अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध अपीलान्ट्स के अपील, जमाबन्दी की नकल, विवादित नामान्तरकरण संख्या 22 एवं खातेदार के मृत्यु प्रमाण

पत्र आदि का गम्भीरता से अवलोकन किया एवं वर्णित तथ्यों पर मनन किया जिससे यह प्रतीत होता है कि नाथूलाल पिता ताजू मीणा की मृत्यु दिनांक 26.07.2003 को हुई है जिसका पंजीकरण दिनांक 05.08.2003 को रजिस्ट्रार (जन्म मृत्यु) ग्राम पंचायत ऋषभदेव में हुआ है एवं तहसीलदार द्वारा खोले गये नामान्तरकरण संख्या 22 में पटवारी हल्का द्वारा खातेदार की मृत्यु दिनांक 07.06.1989 को हो जाना बताया है जिसे भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा दिनांक 29.06.1989 को जांचा जाकर तहसीलदार खेरवाड़ा द्वारा प्रमाणित किया गया है। इस प्रकार खातेदार की मृत्यु होने से पूर्व ही उसका नामान्तरकरण खोला जाना जाहिर होता है। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत ऋषभदेव द्वारा जारी वारिसान प्रमाण पत्र दिनांक 13.01.2010 के अवलोकन से स्पष्ट है कि मृतक श्री नाथू की विधिक वारिसान अपीलान्ट संख्या 1 से 5 है, जबकि नामान्तरकरण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 के नाम खोला गया है। अपीलान्ट्स अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत 2060–63 में ग्राम पुनाली, तहसील डूंगरपुर, जिला डूंगरपुर की खाता संख्या 85 की नकल में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 3 के पिता का नाम खातू भील होना अवगत कराया है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया उक्त आवंटन प्रारम्भ से ही बिना वारिसान की जांच किये, विधि विरूद्ध एवं गलत तरीके से खोला जाना जाहिर होता है एवं ऐसे नामान्तरकरण को निरस्त किया जाना प्रथम दृष्ट्या हम उचित समझते है।

अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेरवाडा द्वारा स्वीकृत म्युटेशन संख्या 22 दिनांक 29.06.1989 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि हमारे द्वारा उपरोक्त किये गये परीक्षणों को दृष्टिगत रखते हुए उभय पक्षों की पुनः साक्ष्य सबूत प्राप्त कर एवं सुनकर मृतक श्री नाथू पिता ताजू मीणा के विधिक वारिसान की जांच कर विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम किया जावे।

(चाँदमल वर्मा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर